एग्री मैगज़ीन
(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 09 (सितम्बर, 2025)
www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करती महिला उद्यमिता- एक राह प्रगति की ओर

*डॉ. अंजना राय
सहायक प्राध्यापक, प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: anjanarai192@gmail.com

महिलाओं का सशक्तिकरण (या महिला सशक्तिकरण) को कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें महिलाओं के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, उन्हें खोजने की कोशिश करना और शिक्षा, जागरूकता, साक्षरता, समाज में समान स्थिति, बेहतर आजीविका और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को उठाना शामिल है।महिला सशक्तिकरण महिलाओं को विभिन्न सामाजिक समस्याओं के माध्यम से जीवन-निर्धारण निर्णय लेने के लिए सक्षम और सक्षम बनाता है। उन्हें जेंडर भूमिकाओं या अन्य ऐसी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने का अवसर मिल सकता है, जो उन्हें इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देती हैं।

यह महिला सशक्तिकरण का युग है, जिसमें महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिल रहा है, लेकिन अभी भी कॉरपोरेट और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना बाकी है. इसके लिए न केवल सरकार, बल्कि समाज के हर तबके को भी महिलाओं को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि वे भी अपनी योग्यता और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना न केवल समाज के लिए लाभकारी है, बल्कि यह पूरे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है. जब महिलाएं सफल होंगी, तो समाज भी आगे बढ़ेगा. उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है. देश में रोजगार के अवसर पैदा करके, जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाकर और महिला संस्थापकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय उद्यम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं.

शंपेटर के अनुसार - महिलाएँ उद्यमी वे महिलाएँ हैं जो नवाचार करती हैं, शुरू करती हैं, या एक व्यवसाय गतिविधि को अपनाती हैं

फ्रेडरिक हार्बिसन के शब्दों में, कोई भी महिला या महिलाओं का समूह जो आर्थिक गतिविधि का आविष्कार, आरंभ या अपनाता है, उसे महिला उद्यमिता कहा जा सकता है।

महिला उद्यमिता कुछ सामान्य विशेषताओं से चिह्नित होती है, जैसे: महिलाओं की जोखिम लेने और नवाचार करने की इच्छा। महिला उद्यमी नए व्यवसाय शुरू करने और जोखिम उठाने के मामले में अधिक साहस और लचीलापन दिखाती हैं। महिलाएं सामाजिक लाभकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। महिलाएं तब आर्थिक विकास के मामले में आगे बढ़ेंगी जब लड़कियां शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनेंगी. शिक्षा प्राप्त करने के बाद, महिलाएं अपनी शिक्षा का उपयोग स्वयं के व्यवसाय शुरू करने में कर सकती हैं, जिससे समाज के आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ेगा. महिला सशक्तिकरण की बात लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब देश की आर्थिक प्रगति के लिए महिलाओं के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना बेहद आवश्यक हो गया है.

वर्तमान में बढ़ती आर्थिक असमानता भारत की आर्थिक प्रगति में एक बड़ी रुकावट है. भारत की कुल एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का केवल 19 प्रतिशत महिलाओं द्वारा संचालित है. महिलाओं का वेतन भी पुरुषों के वेतन का 65 प्रतिशत है. एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत में महिलाओं को रोजगार में पुरुषों के बराबर अवसर मिल जाएं, तो बिना किसी अन्य परिवर्तन के जीडीपी सात अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकती है.

महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टिकोण से अब व्यवसाय की ओर बढ़ना चाहिए. समाज में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, और माता-पिता अपनी बेटियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रबंधन की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, अभी भी समाज में व्यापार और उद्यमिता में महिलाओं को कमजोर माना जाता है और यह धारणा है कि व्यापार केवल

पुरुषों का काम है. यह मानसिकता भी है कि बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं पर होती है, जिससे शिक्षित महिलाएं नौकरी को प्राथमिकता नहीं दे पातीं. अगर महिलाएं स्वयं आगे बढ़कर रोजगार का निर्णय लें, तो आर्थिक विषमता कम हो सकती है.

महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग, डांसिंग आदि के प्रशिक्षण ले सकती हैं. लेकिन इसके साथ ही, उन्हें व्यवसाय के बारे में भी सिखाया जाना आवश्यक है. मार्केटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है. यदि महिलाओं को उद्यमिता की ओर मोड़ा जाए, तो यह समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है.

भारत जैसे गहरे पितृसत्तात्मक समाज में, जहां महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों की प्रमुख वाहक मानी जाती हैं, यह सोच उनकी आर्थिक उन्नति और अवसरों तक पहुंच को सीमित करती है. इस परिदृश्य में, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उन महिला उद्यमियों के लिए एक पुल का काम कर रहे हैं जिनके पास अपना उद्यम शुरू करने की इच्छा है, लेकिन जिनके पास पर्याप्त संसाधन और सही माहौल नहीं है.

देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, स्टार्टअप इंडिया भारत में पहलों, योजनाओं, नेटवर्क और समुदायों को सक्षम बनाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध हितधारकों के बीच भागीदारी को सक्रिय करने के माध्यम से महिला उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

भारत में उद्यमिता और महिलाएं: समाज में नेतृत्त्व और उद्यमशीलता की भूमिका चुनने के लिये महिलाओं को सक्षम बनाने में समाज, सरकार और स्वयं महिलाओं की एक प्रमुख भूमिका है।

- महिला उद्यमियों का कम प्रतिनिधित्व: हाल के दशकों में भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद, अभी भी महिला उद्यमियों का संख्या काफी कम है।

- भारत में केवल 20% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं (जो कि 22 से 27 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करते हैं) और कोविड-19 महामारी ने महिलाओं उद्यमियों के इस प्रतिशत को ओर अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- स्टार्टअप्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: केवल 6% महिलाएं भारतीय स्टार्टअप्स की संस्थापक हैं।
- वर्ष 2018-2020 के मध्य कम-से-कम एक महिला सह-संस्थापक वाले स्टार्टअप्स द्वारा केवल 5% फंडिंग ही जुटाई जा सकी और केवल एकमात्र महिला संस्थापकों वाले स्टार्टअप्स कुल निवेशक फंडिंग का केवल 1.43% हिस्सा ही प्राप्त कर सके।
- क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व: इक्विटी व्यापार के स्वामित्व के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र (मुख्य रूप से कागज़ और तंबाकू उत्पादों से संबंधित) में महिलाओं द्वारा धारित हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है।
- हालाँकि कंप्यूटर, मोटर वाहन, धातु उत्पादों, मशीनरी और उपकरणों से संबंधित उद्योगों में महिलाओं की 2% या उससे भी कम की हिस्सेदारी देखी जाती हैं।

महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियाँ: उद्यमिता एक चुनौती है, और यदि आप एक महिला हैं तो यह और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। उनके प्रयासों और विशेषज्ञता के बावजूद, महिला उद्यमियों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बड़ा बनने और व्यवसाय समुदाय में पहचान प्राप्त करने के लिए अक्सर अधिक संघर्ष करना पड़ता है। भारत में 100 उद्यमियों में से केवल 7 महिलाएँ हैं, मास्टरकार्ड इंडेक्स ऑफ वूमन उद्यमियों के अनुसार। गूगल-बेन रिपोर्ट के अनुसार, देश में केवल 20% व्यवसाय महिलाओं के स्वामित्व में हैं, जबकि विश्व आर्थिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट भी भारत के श्रम बाजार में 72% की बड़ी लिंग असमानता को दर्शाती है।

1. कम क्षेत्र महिलाओं के अनुकूल हैं: लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और उपायों के बावजूद, पुरुष अभी भी भारत के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में अधिकांश महिला-स्वामित्व वाले व्यवसाय निम्न-राजस्व क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जबकि पुरुष अधिक लाभप्रद क्षेत्रों जैसे उत्पादन, निर्माण आदि पर नियंत्रण करते हैं।कई उद्योगों की पुरुष-केंद्रित प्रकृति भी महिला उद्यमियों को उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मजबूर करती है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से "महिला-अनुकूल" कहा जाता है, जैसे शिक्षा, वस्त्र, और सौंदर्य देखभाल, आदि। इससे उनके अनुभव, अवसर और क्षमताओं पर महत्वपूर्ण सीमा लगती है।

2. क्षमताओं पर रूढ़िवादिता: महिलाओं को प्रायः पुरुषों के विपरीत 'शारीरिक रूप से कमज़ोर' माना जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से पुरुषों को संरक्षक और रक्षक के रूप में देखा जाता है।

- यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुरुष और महिला शारीरिक रूप से भिन्न हैं, भले ही एक औसत पुरुष एक औसत महिला की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक मज़बूत हो, लेकिन यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि प्रत्येक महिला शारीरिक रूप से कमज़ोर है। 'मस्तिष्क' क्षमता का आकलन करने हेतु जैविक पहलुओं का उपयोग करना: एक पुरानी धारणा यह रही है कि पुरुष अधिक तार्किक होते हैं, जबकि महिलाओं को अधिक सहानुभूतिपूर्ण माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः महिलाओं को कुछ निश्चित व्यवसायों तक सीमित कर दिया जाता है।

3.पितृसत्तात्मक और पारिवारिक बाधाएँ: भले ही बहुत सी महिलाओं के पास ऐसे क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुँचने की क्षमता और इच्छा होती है, लेकिन वे अक्सर समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा अपने सपनों को नकार देती हैं।

4.अंतर्निहित पूर्वाग्रह और चिंताएँ: की बेटियाँ पुरुष-उन्मुख क्षेत्र में स्वयं को किस प्रकार बनाए रखेंगी, भी उन्हें प्रगति करने से रोकती हैं। इन्हीं चिंताओं के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में भारी कमी आ जाती है, जो केवल लिंग असंतुलन को और खराब करता है।

5.फंड से संबंधित बाधाएँ: महिला उद्यमियों के लिये फंड और स्पॉन्सरशिप तक आसान पहुँच तथा बुनियादी समर्थकों से वंचित होना कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोगों को वित्त के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमताओं के बारे में आपत्ति है क्योंकि यह परंपरागत रूप से एक पुरुष-प्रधान क्षेत्र है जिसे इसका 'तार्किक' आधार बनाया जाता है।

6.महिला सलाहकारों की कमी: कम महिला व्यवसाय संस्थापकों के साथ महिलाओं का नेटवर्क, जो साथी महिला उद्यमियों को सलाह दे सकता है, फलस्वरूप काफी छोटा है। महिला-स्वामित्व वाले स्टार्टअप्स के लिये एक प्रमुख बाधा महिलाओं के लिये रोल मॉडल की कमी है। महिलाओं के लिये व्यावसायिक नेटवर्क के मूल्य को अधिकतम करना भी कठिन है।

7.पेशेवर नेटवर्कों तक पहुँच की कमीपेशेवर नेटवर्कों तक सीमित पहुँच: भारत में महिला उद्यमियों की बुनियादी समस्याओं और चुनौतियों में से एक है। गूगल-बेन सर्वेक्षण के अनुसार, महिला व्यापार मालिकों का औपचारिक और अनौपचारिक नेटवर्कों में कम समाकलन होता है। सर्वेक्षण से आगे यह भी संकेत मिलता है कि शहरी छोटे व्यवसायों के 45% से अधिक मालिक नेटवर्क विकास के पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण पीड़ित होते हैं। अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि अधिकांश मौजूदा पेशेवर

नेटवर्कों पर पुरुषों का प्रभुत्व होता है, जिससे महिलाओं के लिए ऐसे स्थानों तक पहुँचने या उन्हें समझने में कठिनाई होती है। परिणामस्वरूप, वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने, सहयोगियों और विक्रेताओं को खोजने और सामाजिक पूँजी बनाने के अवसरों से वंचित रह जाती हैं।

8.परंपरागत लिंग भूमिकाओं का पालन करने का दबाव: पितृसत्ता पुरुषों और महिलाओं दोनों को कुछ निश्चित लिंग भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित करती है। महिलाओं से अपेक्षित है कि वे खाना पकाएं, घरेलू काम करें, बच्चों की परवरिश करें, बुजुगों की देखभाल करें, और इसी तरह की अन्य गतिविधियां करें। पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना खुद एक चुनौती है, और जब आप एक ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।परंपरागत लिंग भूमिकाओं से चिपके रहने का दबाव महिलाओं उद्यमियों द्वारा सामना किए गए मुख्य चुनौतियों में से एक है। अक्सर, उनसे कहा जाता है कि वे उद्यमिता छोड़ दें और ऐसा 'आसान' पेशा अपनाएं जो उन्हें परिवार और बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। और इससे भी अधिक, एक महिला जो अपने करियर को अन्य चीजों पर प्राथमिकता देती है, उसे नीची नजरों से देखा जाता है।

9.उद्यमिता का पर्यावरण का अभाव: उद्यमिता एक लंबा सफर है जिसमें बहुत सी सीखना, अन सीखना और कौशल विकास शामिल होता है। एक ऐसा वातावरण जो मजबूत उद्यमिता की भावना को व्यक्त करता है, किसी व्यक्ति को सफल व्यवसायी बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, कई महिलाओं को इस तरह के उत्पादक वातावरण की कमी का सामना करना पड़ता है।शुरुआत करने के लिए, कई महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने व्यवसायों का प्रबंधन घर से करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, वे बाहर जाने, व्यवसाय समुदाय के साथ बातचीत करने और अपने बाजार की पहुंच बनाने के अवसरों को खो देती हैं। यह उनके सीखने के अवसरों, संसाधनों और मार्गदर्शकों तक पहुंच को भी बाधित करता है, और भी बहुत कुछ।

10.सीमित गतिशीलता: सीमित गतिशीलता भारत में महिला उद्यमियों की बुनियादी समस्याओं में से एक है। वे अकेले यात्रा नहीं कर सकतीं या व्यापार के उद्देश्यों के लिए होटल में बिना सुरक्षा की चिंता किए रह नहीं सकतीं। इसके अलावा, भारत में कई होटल अभी भी महिलाओं को चेक-इन करने की अनुमति नहीं देते जब तक कि वे एक पुरुष के साथ न हों! हालांकि कई वित्तीय रूप से स्वतंत्र महिलाएँ वाहनों में निवेश करने लगी हैं, लेकिन भारत में मोटर चालित वाहनों की स्वामित्व वाली महिलाओं की संख्या अभी भी पुरुषों से कम है। ये सभी कारक एक साथ मिलकर महिला व्यापारियों की गतिशीलता को सीमित करते हैं।

11.शिक्षा की कमी: एक आधुनिक उद्यमी के लिए सबसे बड़े गुणों में से एक सफल व्यवसाय संचालित करने का पूर्व अनुभव होना है। व्यवसाय संचालन के अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए, उद्यमी के पास संबंधित उद्योग में काम करने का पेशेवर अनुभव या एक व्यवसाय प्रबंधन डिग्री होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, भारत में महिलाओं की शिक्षा को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कई नवोदित महिला उद्यमियों के पास सफल व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक शिक्षा की कमी होती है। जैसे-जैसे महिलाओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है, वे समानता की ओर बढ़ रही हैं।

12.कम जोखिम उठाने की क्षमता: एक सफल व्यवसाय में निवेश करने और उसे चलाने के लिए, उद्यमी को कुछ अंतर्निहित जोखिम उठाने में सक्षम होना चाहिए। महिलाएं अक्सर वित्तीय स्वतंत्रता नहीं रखती हैं और स्वतंत्र निर्णय लेने में उन्हें अनुभव नहीं होता है। साथ ही, वे अपने निर्णयों में आत्मविश्वास की कमी महसूस करती हैं, जिससे वे जोखिम से बचती हैं। यह क्रमशः बदल रहा है क्योंकि हर गुजरती पीढ़ी के साथ महिलाएं अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने और जोखिमों को कम करने में सक्षम हो रही हैं।

13.परिवार और व्यापार के बीच जिम्मेदारियों का संतुलन: परिवार को अक्सर महिलाओं के विस्तार के रूप में देखा जाता है। विवाहित महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे एक निश्चित उम्र में मातृत्व में प्रवेश करें और अपने बच्चों को पालन-पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इससे युवा माताओं को अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ता है और अपने परिवार को प्राथमिकता देनी पड़ती है। व्यापार चलाना एक मांगलिक कार्य है जो अक्सर महिलाओं को उनके पारिवारिक दायित्वों के साथ संघर्ष में डालता है और यहां तक कि उन्हें अपने व्यवसाय को प्राथमिकता देने पर दोषी महसूस कराता है।

14.सीमित उद्योग जानकारी: उद्योग क्षेत्रों जैसे विनिर्माण को अभी भी पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। महिलाओं को उन उद्योग संपर्कों, तरीकों और ज्ञान तक पहुंच नहीं है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक हैं। रूढ़ियों के क्रमिक तोड़ने के बावजूद, इन क्षेत्रों में अभी भी सामान्य कमी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में शिक्षा हासिल करना उन बाधाओं को पाट सकता है जिनका सामना महिला उद्यमियों को वर्तमान में करना पड़ता है। डिजिटल साक्षरता ने भी महिलाओं को सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए क्रांति ला दी है।

15.मिसिंग रोल मॉडल्स: एक बड़ी चुनौती जो नवोदित महिला उद्यमियों का सामना करती है, वह यह है कि उनके पास पर्याप्त सकारात्मक रोल मॉडल नहीं होते। रोल मॉडल्स की कमी के कारण, उनके लिए यह समझना मुश्किल होता है कि सफलता कैसी दिखेगी। उन्हें उन महिलाओं मेंटर और कोचों को खोजने में भी कठिनाई होती है जो उन्हें विकसित कर सकें और सार्थक फीडबैक

प्रदान कर सकें। वे ऐसे विचारशील लेखों और साहित्य को खोजने में भी संघर्ष करती हैं जो उनके पेशेवर और व्यक्तिगत चुनौतियों के बारे में जानकारियाँ प्रदान कर सकें।

16.सुरक्षा चिंताएं: कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को जन्म दिया है। शत्रुतापूर्ण और जोखिम भरा वातावरण महिला उद्यमियों के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जिन्हें अपने व्यावसायिक उपक्रमों को प्रबंधित करने के लिए गतिशीलता की आवश्यकता है। इससे महिलाओं को अपने दम पर कई स्थानों तक पहुँचने में सीमित किया जाता है और कभी-कभी अपनी सुरक्षा के लिए केवल एक पुरुष के साथ रहना जरूरी हो जाता है। महत्वपूर्ण कानून सुधारों, सतर्क कानून प्रवर्तन और एक प्रभावी न्यायिक प्रणाली के साथ, स्थिति को पर्याप्त रूप से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि महिलाओं के लिए उद्यमिता की भूमिकाएँ निभाना सुरक्षित हो सके।

17.प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों तक सीमित पहुँच: प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों तक पहुँच आधुनिक व्यावसायिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में महिला उद्यमियों को अक्सर इन संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण डिजिटल साक्षरता की कमी, नवीनतम प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच, और उनके व्यावसायिक मॉडलों में डिजिटल समाधानों को एकीकृत करने में अपर्याप्त समर्थन है। यह उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में नुकसान में डाल सकता है।

18.संस्कृति संबंधी सीमाएँ: और महिलाओं की समाज में भूमिकाओं के प्रति गहरे निहित पूर्वाग्रह महिला उद्यमियों की अपने व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। ये पूर्वाग्रह समाज में प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं, जहाँ महिलाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने से हतोत्साहित किया जाता है या उन्हें पुरुषों के समान प्रोत्साहन और समर्थन नहीं दिया जाता है।

आगे की राह

- महिलाओं को नेतृत्व के लिये प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएँ प्रदान करना: देश के आधे संभावित कार्यबल को सशक्त बनाना लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के अलावा महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है।
- महिला उद्यमिता के प्रमुख चालक बुनियादी ढाँचे और शिक्षा में निवेश हैं, जो भारत में महिलाओं द्वारा शुरू किये गए व्यवसायों के उच्च अनुपात की भविष्यवाणी करते हैं।
- बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला श्रम-बल की भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है, भेदभाव और वेतन अंतर को भी कम कर सकता है और बेहतर कॅरियर-उन्नति प्रथाओं एवं प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकता है।
- महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिये महिलाओं को बढ़ावा देना: 'जेंडर नेटवर्क' निस्संदेह उद्यमिता के लिये मायने रखता है। संबंधित उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों में उच्च महिला स्वामित्व अधिक सापेक्ष महिला प्रवेश दर सुनिश्चित कर सकता है।
- यहाँ मौजूदा महिला उद्यमियों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि वे अन्य महत्त्वाकांक्षी महिला उद्यमियों तक पहुँच स्थापित कर सकती हैं और अपने स्वयं के ज़िलों, उद्योगों या कार्यक्षेत्र के भीतर और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं।
- वे विशेष रूप से स्थानीय व्यवसायों की मालिक बनने की इच्छुक महिलाओं के लिये सेमिनार या कार्यशालाएँ भी आयोजित कर सकते हैं।
- महिला निवेशकों को प्रोत्साहित करना: अधिकांश निवेशक समूह पुरुषों से बने होते हैं और उनके नेतृत्व में होते हैं, जिसके चलते निवेश समितियाँ अधिकांशतः पुरुष-प्रधान होती हैं। 'एंजल इनवेस्टर्स' में सिर्फ 2% महिलाएँ ही हैं।
- ऐसे अचेतन पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिये कम-से-कम एक या अधिक महिला निवेशकों को निवेश समूह में शामिल किया जा सकता है।
- यदि निर्णय लेने वाले समूह में लिंग की विविधता है, तो इस बात की संभावना अधिक है कि धन चाहने वाली महिला को निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी और संभवतः अधिक अनुकूल निर्णय प्राप्त होंगे।
- **सरकार की भूमिका:** अधिकांश महिला उद्यमियों की राय है कि प्रशिक्षण की कमी के कारण वे बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाती हैं। सरकार को नई उत्पादन तकनीकों, बिक्री तकनीकों आदि के लिये लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिये और इसे महिला उद्यमियों के लिये अनिवार्य बनाना चाहिये।
- सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, ऋण के लिये सब्सिडी बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर महिला उद्यमियों को माइक्रो क्रेडिट प्रणाली और उद्यम ऋण प्रणाली के प्रावधान करने के लिये ब्याज़ मुक्त ऋण भी प्रदान कर सकती है।

महिला उद्यमी से जुड़े कुछ सरकारी योजनाएं : भारत की पहल: भारत सरकार द्वारा स्त्री शक्ति पैकेज, उद्योगिनी योजना, महिला उद्यम निधि योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, महिला ई-हाट, महिला कॉयर योजना और महिला उद्यमिता मंच (WEP) जैसी पहल के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

1.महिला ई हाट योजना: इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं अपने हुनर के दम पर खुद का व्यवसाय करने की इच्छा रखती थी एवं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, उन सभी महिलाओं के लिए यह महिला ई हाट योजना को सरकार की तरफ से प्रारंभ किया गया है. इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा. इस लाभकारी योजना के माध्यम से व्यापारियों, एजेंसियों एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक प्लेटफार्म इस योजना के माध्यम से प्रदान करने का उद्देश्य जारी किया गया है. इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपना पंजीकरण करके अपने किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट ऑनलाइन रूप में बड़ी ही आसानी से बिना अपने घरों से बाहर निकले बेच सकतीं हैं.

महिलाओं के लिए मुद्रा लोन योजना:

पीएम मुद्रा लोन योजना में तीन श्रेणियां हैं जिनके तहत लोन वितरित किए जाते हैं:

- **शिशु लोन** : 50,000 रुपये तक का लोन। (स्टार्ट-अप और नए व्यवसायों के लिए)
- **किशोर लोन** : 50,001 से 5,00,000 रुपये तक का लोन। (मौजूदा उद्यमों के लिए उपकरण / मशीनरी, कच्चे माल, व्यापार विस्तार आदि के लिए)
- **तरुण लोन** : 500,001 से 10,00,000 रुपये तक का लोन (स्थापित व्यवसायों और उद्यमों के लिए)

3. स्टैंड -अप इंडिया: हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने में स्टैंड-अप इंडिया पहल की भूमिका की सराहना की है। आर्थिक सशक्तीकरण और रोज़गार सृजन को केंद्र में रखते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों हेतु ऋण प्रदान करना। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम-से-कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्त्ता एवं कम-से-कम एक महिला उधारकर्त्ता को रु. 10 लाख से रु. 100 लाख के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना।

4. उद्यमी विकास अभियान योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए बजट में कई योजनाओं की घोषणा की, जिनमे एक थी यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जायेगा। अर्थात इस लोन पर युवाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा। लोन के रूप में ली गयी इस 5 लाख की राशी को 4 सालों में वापस करना होगा हालाँकि शुरूआती 6 माह तक कोई पैसा नहीं देना है। यदि आप समय पर पूरा पैसा जाना कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% का लाभ दिया जायेगा।।

5. महिला उद्योग निधि (MUN) योजना : स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक (SIDBI) के तहत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त बनाने और कम ब्याज दरों पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना महिला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। महिला उद्योग निधि योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले फंड का उपयोग मध्यम और छोटे व्यवसाय (MSME) द्वारा सर्विस, मैन्चुफैक्चरिंग और प्रॉडक्शन से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

- महिला उद्योग निधि योजना के तहत, महिला उद्यमी अपना खुद का बिज़नस या स्मॉल बिज़नस शुरू करने के लिए 10 लाख रु. के लिए लोन सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दरें एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग-अलग हो सकती हैं। मौजूदा प्रोजेक्ट को अपग्रेड या बढ़ाने के लिए फंड सपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम लोन भुगतान अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक है।